झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश(शीतकालीन सत्र)

वर्ग–01

28 अग्रहायण 1945(श0) को

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न मंगलवार, दिनांक–19 दिसम्बर,2023(ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगेः–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
"क"03	अ0सू0.22	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	नई नियमावली के अनुसार प्रोन्नति।	गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.23

नोट–'क' 03 अ0सू0.22 दिनांक–18.12.2023 को सदन द्वारा दिनांक–19.12.2023 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–19 दिसम्बर,2023(ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-प्रश्न-01/2021-......2435....../वि0स0, राँची, दिनांकः-18/12/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 18/12/23

(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-प्रश्न-01/2021-......2435....../वि0स0, राँची, दिनांकः- 18/12/23

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय झारखण्ड विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 18/12/23

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-प्रश्न-01/2021-......2435....../वि0स0, राँची, दिनांकः-18/12/23

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/ **J.V.S. TV** शाखा/ वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 18/12/23

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

18.12.23

सत्यमेव जयते

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-01

28 अग्रहायन 1945 (श0)

मंगलवार, दिनांक- ---को

19 दिसम्बर 2023 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या- 01 (एक)

(1) गृह कारा एवं आपदा प्रबधन विभाग- 01 (एक)

कुल योगः- एक (01)

अल्प सूचित

नई नियमावली के अनुसार प्रोन्नति,

"क" 03. श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की

क्र0सं0	क्या मंत्री, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने के कृपा करेंगे कि:-	प्रभारी मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि संबद्ध विभाग द्वारा पत्रांक-14/कोर्ट-02.11.2022 का 3463 दिनांक-03.06.2022 के द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक में प्रोन्नति दिये जाने के लिये नयी नियमावली के अनुपालन हेतु पुलिस मुख्यालय (कार्मिक), झारखण्ड, राँची को निर्देशित किया गया था;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3463, दिनांक-03.06.2022 के माध्यम से प्रोन्नति पर जारी स्थगन संबंधी आदेश को आहरित करते हुए नई नीति के अनुसार प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रश्नखंड-1 में उल्लेखित पत्रांक में वर्णित नियमावली की अवहेलना कर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय झारखण्ड राँची द्वारा 1405/पी0, दिनांक-24.11.2023 द्वारा पूरक प्रोन्नति के तहत् 41 पुलिस अवर निरीक्षकों को पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के लिये 27.11. 2023 तक मनोनयन की माँग की गयी है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग, बिहार, पटना अंगीकृत झारखण्ड राज्य का पत्रांक-117, दिनांक-30.09.1995 के आलोक में दिनांक-27/28.05.2020 (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग,झारखण्ड राँची का पत्रांक-3463, दिनांक-03.06.2022 निर्गत होने के पूर्व) के सम्पन्न म0नि0 चयन पर्षद की बैठक में सील बन्द प्रक्रिया अपनाये गये 41 पु0अ0नि0 के लंबित मामलों में दायर विभिन्न याचिकाओं के आलोक में समीक्षा हेतु सेवाभिलेख की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3463, दिनांक-03.06.2022 निर्गत होने के पूर्व का सील बंद प्रक्रिया के तहत् अपनाये गये लंबित मामलों का कार्मिक विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3463, दिनांक-03.06.2022 निर्गत होने के बाद इसके प्रभाव के संबंध में पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची का पत्रांक-701/पी0, दिनांक-12.12.2023 के द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गई है, जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्त्तमान में इसमें प्रोन्नति देने के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो किस परिस्थिति में प्रोन्नति संबंधी नयी नियमावली की अवहेलना कर पुरानी नियमावली के अनुसार प्रोन्नति के लिये मनोनयन की माँग की गयी है तथा क्या सरकार ज्ञापांक-1405/पी0, दिनांक-24.12. 2023 पर कार्रवाई को रोकर नयी नियमावली के अनुसार प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने पर सरकार विचार करेगी, हाँ, तो कब तक नही तो क्यो?	कंडिका-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

नोटः- " क "3 अ0सू0 22 दिनांक-18.12.2023 को सदन द्वारा दिनांक-19.12.2023 के लिये स्थगित।

राँची,
दिनांक-19 दिसम्बर, 2023 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा राँची।